110 (जी) सीआरपीसी की कार्यवाही

थाना चौक- दिनांक-02.04.2024 को थाना चौक द्वारा बताया गया कि प्रभारी निरीक्षक श्री नागेश उपाध्याय द्वारा दौराने चेकिंग व आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर अभियुक्त 1. एजाज हसन उर्फ चिन्टू पुत्र शवाहुल हसन निवासी ग्राम अबुतुराबखान थाना चौक लखनऊ, 2. नकी हुसैन उर्फ अमित पुत्र स्व0 शहजादे निवासी 219/42 पाटानाला थाना चौक लखनऊ, 3. रिजवान पुत्र मो0 सिराज निवासी चौक मण्डी आगाबाकर थाना चौक लखनऊ, 4. शोएब उर्फ सीबू पुत्र शब्बीर निवासी कटरा हैदर हुसैन चौक थाना चौक लखनऊ, 5. राजा उर्फ लेड़ा पुत्र मेहराज निवासी 229/18 सोबतिया थाना चौक लखनऊ, 6. शाहरुख उर्फ मामू पुत्र मो0 सरताज निवासी 234/26 थवई टोला पाटानाला थाना चौक लखनऊ, 7- रतन वर्मा पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी 315/5 बाग महा नारायन थाना चौक लखनऊ, 8-हुफैजा पुत्र असगर अली निवासी 296/4 हाता संगीवेग थाना चौक लखनऊ, 9. तैय्यब उर्फ मुन्ना पुत्र स्व0 उमर निवासी रंग रोजी की बगिया पुराना नक्खास थाना चौक लखनऊ, 10. अरसद पुत्र मो0 उमर निवासी 264/29 विल्लोजपुर थाना बाजारखाला लखनऊ हालपता 262/81/2 कटरा आजमवेग थाना चौक लखनऊ, सभी अभियुक्तगण जोकि दबंग, मनबढ़ व दुस्साहसिक प्रवृति का व्यक्ति हैं जिनके द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में अराजकता फैलाने की आशंका व शान्ति व्यवस्था छिन्न-भिन्न करने की संभावना विद्यामान है। कारण आम जनता में भय व्याप्त वाही की गई।

डी0सी0पी0 पूर्वा

3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम(गैंगेस्टर एक्ट)

थाना पीजीआई- दिनांक-02.04.2024 को थाना पीजीआई द्वारा बताया गया कि प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रजेश चन्द्र तिवारी द्वारा दौराने चेकिंग व आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर अभियुक्त 01- शुभम शुक्ला पुत्र उमेश शुक्ला उम्र 24 वर्ष निवासी पब्लिक विहार कालोनी सराय सेख सतरिख रोड थाना चिनहट लखनऊ, 02- पंकज शुक्ला पुत्र उमेश शुक्ला उम्र 22 वर्ष निवासी पब्लिक विहार कालोनी सराय सेख सतरिख रोड थाना चिनहट लखनऊ के विरुद्ध थाना पीजीआई पर 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम(गैंगेस्टर एक्ट) की कार्यवाही की गई। उपरोक्त का संगठित अपराधिक गिरोह है। गैंग के सदस्य के आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न जैसे अपराध कारित करते हैं। उक्त अभियुक्त दबंग, मनबढ़ व गुण्डा दुस्साहसिक प्रवृति का व्यक्ति है।

भा0द0वि0

थाना दुबग्गा:- आज दिनांक -03.04.2024 को थाना दुबग्गा द्वारा बताया गया कि वादी श्री मो० शफीक पुत्र स्व० इलयास निवासी दाउद नगर फैजुल्लागंज थाना मडियांव जनपद लखनऊ ने थाना दुबग्गा पर सूचना दिया कि दिनांक-02.04.2024 को समय लगभग 04.00 बजे शाम को वादी का साला मो० अहमद पुत्र शमशार निवासी दाउद नगर फैजुल्लागंज थाना मडियाव जनपद लखनऊ अपनी मोटरसाइकिल T.V.S. रोनिन बाइक से जेहटा की तरफ से सक्सेना चौराहे की तरफ जा रहा था तभी चौराहे के पास सामने से आ रहे एक थ्री व्हीलर बजाज मैक्समा पिक अप UP 75 BT 8145 के चालक नाम पता अज्ञात द्वारा गाड़ी को तेज गति से लापरवाही पूर्वक चलाकर वादी के साले की उक्त मोटरसाइकिल मे जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे वादी का साला मो० अहमद गम्भीर रुप से घायल हो गया। जिसे तुरन्त मो० शादाब ने ट्रामा सेन्टर KGMU इलाज के लिये पहुँचाया, जहाँ पर ईलाज के दौरान वादी के साले मो० अहमद उम्र करीब 25 वर्ष की मृत्यु हो गयी। **इस सूचना पर थाना दुबग्गा पर मु0अ0सं0-94/2024 धारा-279/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना महिगवां</u>- आज दिनांक-03.04.2024 को थाना महिगवां द्वारा बताया गया कि वादी श्री सुनील मौर्या पुत्र धनपाल निवासी भरथर थाना महमूदाबाद जिला सीतापुर ने थाना महिगवां पर सूचना दिया कि दिनांक-01.04.2024 को समय करीब 07.00 बजे शाम को वादी का भाई शिवपूजन पुत्र धनपाल जो कि मजदूरी करके अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर घर जा रहा था, तभी रास्ते मे मिश्रीपुर चौराहे (भैसामऊ) के पास अपनी मोटर साईकिल से जाते समय अचानक सामने से न्यू माडल सी डी॰ डीलक्श (कलर काला) जिसका चेचिस न0 MBLHAW 138PHK83863 के चालक नाम पता अज्ञात द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर वादी के भाई की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया। राहगीरों के द्वारा पुलिस को सूचना देकर गम्भीर रुप से घायल वादी के भाई को इलाज हेतु राम सागर मिश्र सौसय्या हास्पिटल में ले जाय गया, जहां पर डाक्टरों ने वादी के भाई शिवपूजन उपरोक्त उम्र करीब 19 वर्ष को मृतक घोषित कर दिया। **इस सूचना पर थाना महिगवां पर मु0अ0सं0-39/2024 धारा-279/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना इटौंजा</u>:- आज दिनांक-03.04.2024 को थाना इटौंजा द्वारा बताया गया कि समय करीब 11.00 बजे सुबह में स्टेशन मास्टर बीकेटी, पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ द्वारा थाना स्थानीय पर एक मेमो इस आशय पर भेजा गया कि बीकेटी-एए के मध्य किमी0 सं0-29/4 पर ट्रैक के बाहर एक अज्ञात शव उम्र करीब 25 से 30 वर्ष पड़ी हुई है। **इस सूचना पर उ0नि0 श्री प्रवीन कुमार मो0-9035707347 थाना इटौंजा द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि सूचना मिलने पर मय पुलिस बल मौके पर जाकर देखा तो ग्राम चांदपुर रेलवे लाइन के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति शव पड़ा हुआ है। प्रथम दृष्टया किसी अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हुई है। आसपास के लोगों से पूछताच करने पर मृतक की शिनाख्त रमेश पुत्र रामाकान्त निवासी ग्राम लासा थाना इटौजा लखनऊ ने अपने बड़े भाई अर्जुन उम्र करीब 25 वर्ष के रुप में की। मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने पूछताछ में बताया कि दिनांक-02.04.2024 को अर्जुन की घर पर अपनी बहन से पानी मांगने को लेकर वाद विवाद हुआ था जिससे नाराज होकर अर्जन रात्रि में ही घर से कहीं चला गया था। उन लोगों ने काफी तलाश किया परन्तु अर्जुन का कही पता नही चला। मृतक उपरोक्त अविवाहित था व खेती करता था।